<u>वित्तीय स्वीकृति</u>

<u>संख्य -1775/52-3-14-बजट(18)/2014</u>

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव,

उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,

अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0

□□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभा -3, □□□□: दिनांक 26 अगस्त,2014

विषयः-वित्तीय वर्ष 2014-15 में अल्पसंख्यक समुदाय के निर्ध /गरीब अभिभावकों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान की स्वीकृति के संबंध में। (□ □□□□□□)

□□□□,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0-751/52-3-14-□□□(18)/14, दिनांक 20.5.2014 के अनुक्रम में तथा वित्त (□ □-व्ययक) □□0-1 के कार्यालय ज्ञाप □0-□□-1-2457/□□-2014-231/2014, दिनांक 22.7.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर-2(9) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 □□ आय व्यय में अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन/गरीब अभिभावकों की पुत्रियों के विवाह हेतु आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित (0 12,00,00,000/- के सापेक्ष स्वीकृति हेतु अवशेष ध 0 08,00,00,000/-(रू0 आठ करोड़ मा) निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

2- उक्त स्वी॰ त धनराशि से केवल योजनान्तर्गत पात्र बालिकाओं को ही धनराशि का भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय इस संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-1682/52-3-07-□□(4)/07 टी0□□0, दिनांक 26 सितम्बर, 2007 □□□ संशोधित शासनादेश संख -2363/52-3-08- □□(4)/ 07टी0□□0 दिनांक 31.10.2008 तथा शासनादेश : -5308/52-3-09-□□(4)/07 टी0□□0 दिनांक 21.10.2009 में निर्गत दिशा-निर्देशों तथा □□□-समय पर निर्गत अन्य नियमों/शासनादेशों के अन्तर्गत समर औपचारिकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये नियमानुसार किया □□□□

4- आवेदकों का चयन निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को माह मा , 2015 की समाप्ति पर उपलब्ध कराया जायेगा।

6- □□□□□ □□ □□□□ (एलाटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत □□□□/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम धिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय व्ययक के अनुदान संख -48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, □नजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का व - 80-सामान्य-800-

□ □□□□□□-अन्य व्यय-03-अल्पसंख्यकों का कल्याण -0304-अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन/गरीब अभिभावकों की पुत्री के विवाह हेतु अनुदा -20-□□□□□ □□□□-सामान्य (□□ □□□) □□□□□□□□□ □□□□

4- □□□ □ □□ वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख -□□-1-2457/□□-2014- 231/2014, दिनांक 22.7.2014 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
□□□□

संख्य-1775(1)/52-3-14-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-□□□□□□□□ (लेखा परीक्ष) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□

2-□□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, □0प्र0, □□□□□□□

3-मुख्य कोषाधिकारी, □□□□□□, □□□□

4-कोषाधिकारी, □□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी,
अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, □0प्र0 □□□□

5-रजिस्ट्रार, □0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद 704 □□□□ □□□, □□□□

6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ □□□□-1

आज्ञा स,

(□ □0□□0द्विवेदी)
□□ □□□

http://shasanadesh.up.nic.in